

जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर
(निविदा आमंत्रण सूचना)

माननीय सांसद, समस्तीपुर द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत अपने संसदीय क्षेत्राधीन नगर परिषद, समस्तीपुर हेतु (छ: सीट) का डीलक्स मॉडल चलन्त शौचालय क्रय कर उपलब्ध कराया जाना है। जिसके लिए मुहरबन्द निविदा जिला पदाधिकारी के निदेशनुसार आमंत्रित की जाती है। सभी कम्पनियों और उनके प्राधिकृत विक्रेता सामानों के आपूर्ति हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ तकनीकी एवं वित्तीय निविदा मुहरबन्द लिफाफे में दिनांक 16.12.2014 को 03:30 बजे अपराहन तक जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर में दाखिल कर सकते हैं। जिला क्रय समिति के समक्ष कार्यालय प्रकोष्ठ में दिनांक 16.12.2014 को 4:00 बजे अपराहन में निविदा खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।


क्र०	सामग्री का नाम	कुल
01	डीलक्स मॉडल चलन्त शौचालय (छ: सीट) सभी आवश्यक सामानों के साथ	5 (पाँच) अदद

निविदा की शर्तें :

01. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखे जायेंगे।
 - (i) जिला योजना पदाधिकारी, समस्तीपुर के पदनाम से आपके द्वारा निविदा में अंकित दर का 2 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - (ii) बिहार बिक्रीकर से निबंधन प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
 - (iii) Company/Properitor के नाम PAN No. की अभिप्रमाणित प्रति।
 - (iv) नोटरी पब्लिक से शपथ-पत्र की निविदादाता कभी काली सूची में नहीं रहे हों।
 - (v) आपूर्ति की जानेवाली सामग्री से संबंधित विशिष्टियों के लिफलेट।
 - (vi) वर्णित सामानों के अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण के साथ देना होगा।
02. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।
03. वित्तीय निविदा में सामग्री का नाम Specification (विशिष्टीकरण) दर सहित देना होगा।

अन्य शर्तें :

04. सामग्री उत्कृष्ट मानक का होना चाहिए।
05. चयनित विक्रेता को सामग्री का परिवहन व्यय स्वयं करना होगा।
06. गारंटी/वारंटी अवधि में सामग्री के रख-रखाव पर आपूर्तिकर्ता स्वयं ससमय ध्यान देते रहेंगे।
07. अनुमोदित आपूर्तिकर्ता को आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर गुणवत्तायुक्त सामान संबंधित स्थानों पर आपूर्ति करना होगा।
08. किसी भी निविदा को बिना बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्णतः सुरक्षित होगा।


जिला योजना पदाधिकारी
समस्तीपुर।